

अनुसूचित जाति के आर्थिक उत्थान में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की भूमिका (बिलासपुर जिले के विकास खण्ड कोटा के विशेष संदर्भ में)

सारांश

भूर्भूत समेकित कार्यक्रम और सहयोगी योजनाओं की समीक्षा और पूर्नसंरचना करने के बाद स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1 अप्रैल 1999 में शुरू की गयी। यह एक मात्र स्वरोजगार कार्यक्रम है। इस का उददेश्य सहायता प्राप्त स्वरोजगारियों को बैंक ऋण एवं सरकारी अनुदान के जरिये आयसर्जक परिसम्पत्तियों के प्रावधान के जरिए गरीबी रेखा से ऊपर लाना है। यह योजना केन्द्र और राज्यों में 75.25 अनुपात की लागत के बंटवारे के आधार पर कार्यान्वयिता की जा रही है इस योजना के आरम्भ से वर्तमान तक केन्द्र और राज्यों द्वारा 6734 करोड़ रुपये उपलब्ध कराये गये तथा 5270 करोड़ रुपये उपयोग में लगाये गये। जिससे 5270 लाख स्वरोजगारियों को लाभ हुआ है। 36.98 लाख स्व.-सहायता समूहों का निर्माण किया जा चुका है। 3089608 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय से 132.81 लाख स्वरोजगारियों को सहायता दी जा चुकी है।

मुख्य शब्द : अनुसूचित जाति के आर्थिक उत्थान में स्वर्णजयंती रोजगार योजना की भूमिका

प्रस्तावना

भारत में स्वतंत्रता के बाद 6 दशक उपरांत अभी भी करोड़ों व्यक्ति निर्धनता रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। योजना आयोग के अनुसार वर्ष 2009–2010 में 37.2 प्रतिशत जनसंख्या निर्धनता रेखा के नीचे रह रही थी। वर्ष 2011–12 में यह अनुपात घटकर 29.8 प्रतिशत हो गया, फिर भी ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी रेखा के नीचे जीवन–यापन करने वालों की संख्या 22.09 करोड़ थी। इसमें अधिकांशत कृषि मजदूर, लघु एवं सीमांत कृषक तथा गैर कृषि गतिविधियों में कार्यरत दिहाड़ी कामगार हैं जो कि सामाजिक और वित्तीय बहिष्करण से पीड़ित हैं। तदानुसार सरकारी नीतियां इन वर्गों के आर्थिक और सामाजिक उत्थान की ओर लगाई गई हैं ताकि प्रत्येक को उत्थान को लाभ लेने में समर्थ बनाया जा सकें और समाज के हॉशिए पर बैठे वर्गों को मुख्यधारा में लाया जा सकें।

भारत में गरीबी रेखा के नीचे जी रहे लोगों की सामाजिक आर्थिक सक्षमता हेतु पूर्व कार्यक्रमों समन्वित विकास कार्यक्रम, ग्रामीण युवा रोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम, ग्रामीण महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम, गंगा कल्याण योजना तथा दस लाख कुओं की योजना की समीक्षा तथा पुनर्गठन के परिणाम स्वरूप 1.4.1999 को स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का नये स्वरोजगार कार्यक्रम के रूप में प्रारम्भ किया गया।

अध्ययन के उद्देश्य

प्रस्तुत शोध का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जनजाति की आर्थिक उत्थान में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के योगदान का अध्ययन करना है। जिसके लिए निर्धारित उद्देश्य निम्न हैं:-

1. स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के वित्तीय लक्ष्य एवं उपलब्धियों का अध्ययन करना। (द्वितीयक संमकों के आधार पर)
2. अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को योजना के अंतर्गत दी जाने वाली विशेष प्राथमिकताओं से होने वाले लाभ, आय संरचना, उपभोग क्रिया, व्यवसाय की विद्यमानता एवं ऋण ग्रस्तता आदि का मूल्यांकन करना (प्राथमिक समकों के आधार पर)

3. इस योजना के वर्तमान प्रशासनिक व्यवस्था की कार्य कुशलता, पर्याप्तता और बैंकों की भूमिका का अध्ययन करना।

शोध प्रविधि

बिलासपुर जिले के विकास खण्ड कोटा के अंतर्गत कुल 81 ग्राम पंचायतों में से 25 ग्राम का चयन दैव निर्दर्शन पद्धति से किया गया है तथा चयनित ग्राम पंचायतों के योजना द्वारा लाभान्वित अनुसूचित जातियों के 175 हितग्राहियों (स्वरोजगारियों) एवं 175 गैर हितग्राही परिवारों को अध्ययन में सम्मिलित किया गया है। जिससे स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का अनुसूचित जनजाति की आर्थिक उथान पर पड़ने वाले योगदान को ठीक-ठीक ज्ञात किया जा सके। प्रश्नावली, अनुसूची, साक्षात्कार एवं अवलोकन द्वारा जानकारियों को प्राप्त कर उनका बिन्दुवार विश्लेषण किया गया है। अनुसूचित जाति की आर्थिक उथान में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के योगदान को प्राथमिक समंको द्वारा वस्तुस्थिति को जानने की कोशिश की गयी है।

परिकल्पना

प्रस्तुत अध्ययन हेतु निम्न शून्य परिकल्पनाओं की जांच की जाएगी –

1. स्वर्ण जयंती ग्रामस्वरोजगार योजना का अनुसूचित जनजातियों की आर्थिक प्रगति में योगदान नहीं के बराबर है।
2. स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत अनुसूचित जातियों की समुदाय को विशेष प्राथमिक नहीं प्राप्त हो रही है।
3. इस योजना के अंतर्गत वर्तमान प्रशासनिक व्यवस्था, कार्य कुशलता एवं बैंकों का सहयोग अपर्याप्त है।

अध्ययन की सीमाएं

प्रस्तुत अध्ययन में बिलासपुर जिले के विकास खण्ड कोटा की विभिन्न ग्राम पंचायतों में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या को ध्यान में रखकर विकास खण्ड कोटा का चयन किया गया है। शोध प्रबंध को अनुसूचित जाति समुदाय पर केन्द्रित किया गया है। अध्ययन हेतु 2009–10 से 2014–15 के आंकड़ों तथा जानकारियों का प्रयोग किया गया है।

अनुसूचित जाति हितग्राहियों की आर्थिक उथान में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के योगदान

कोई भी समुदाय जो अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता, वास्तव में वह आगे नहीं बढ़ सकता, ऐसा समुदाय सहायता के बल पर आगे बढ़ सकता है और उसके रहन-सहन में थोड़ा सुधार आ सकता है लेकिन उसकी प्रगति बीच में ही रुक जाती है और वह हमेशा परजीवी ही बना रहेगा।

स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना से अनुसूचित जाति के लाभान्वित परिवारों के विभिन्न पहलुओं में क्या परिवर्तन आया? तथा इन परिवर्तनों का उनके आर्थिक उथान पर प्रभाव कैसा रहा? इसके लिए अनुसूचित जाति के 175 गैर हितग्राहियों का अध्ययन किया गया। विश्लेषण के आधार पर जो तथ्य सामने आये वे निम्नलिखित हैं।

आय में योगदान

स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना से लाभान्वित परिवारों की आय पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है। असामान्य परिस्थितियों को छोड़कर निश्चित ही इनकी आय में वृद्धि हुई है। केवल उन्हीं लोगों की आय स्थिर रही जिन्होंने प्रदत्त ऋण का दुरुपयोग या अन्य अनुत्पादक कार्यों में व्यय किया। क्षेत्र की अजजा के हितग्राहियों की प्रति परिवार औसत आय 2009–10 में 122000 रुपये थी जो सहायता के पश्चात् 2014–15 में बढ़कर 297000 रुपये हो गयी अर्थात् 175000 रुपये की वृद्धि हुई है। वहीं अजजा के गैर हितग्राहियों की औसत आय में मात्र 67000 रुपये की वृद्धि हुई। इससे स्पष्ट है कि हितग्राहियों की आय वृद्धि में योजना का योगदान सार्थक है।

योजना से अनुसूचित जाति के 175 में 173 हितग्राही (98.88 प्रतिशत) उच्च आय वर्ग में प्रतिस्थापित हुए, जिसे योजना का उच्च धनात्मक योगदान कहा जा सकता है। 02 हितग्राही (1.12 प्रतिशत) अपने पूर्व आय स्तर पर बने रहे, जिसे योजना का निम्न योगदान कहा जा सकता है। वहीं गैर हितग्राहियों में यह प्रतिशत कमशः 49.71 एवं 50.29 है।

उपभोग व्यय में योगदान

सर्वेक्षित अनुसूचित जाति के हितग्राहियों का प्रति परिवार औसत व्यय 2009–10 में 185800 रुपये था, जो सहायता के पश्चात् 2014–15 में बढ़कर 248550 रुपये हो गया अर्थात् 62750 रुपये की वृद्धि हुई। वहीं अनुसूचित जनजाति के गैर हितग्राहियों के औसत व्यय में कुछ कम 45400 रुपये की वृद्धि हुई।

उपभोग व्यय ने भी आर्थिक विकास को दो प्रकार से प्रभावित किया प्रथम जिन परिवारों ने इसका अच्छी मदों (खाद्यान्न मदों) में व्यय किया उनका विकास हुआ, द्वितीय जिन परिवारों ने अन्य मदों में व्यय किया उनका विकास नहीं हो पाया।

बचत में योगदान

सर्वेक्षित अनुसूचित जाति के हितग्राहियों की बचत 2009–10 में कुछ भी नहीं थी बल्कि अनुसूचित जाति के हितग्राहियों का प्रति परिवार औसत ऋण 63800 रुपया था। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना से सहायता के पश्चात् वर्ष 2014–15 में अनुसूचित जाति के हितग्राहियों की प्रति परिवार औसत बचत 48450 रुपया हो गयी। लाभान्वित परिवारों की बचत में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का योगदान सार्थक रहा।

कृषि विकास में योगदान

स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना से कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक हितग्राही लाभान्वित हुए हैं जिससे कृषि विकास को बल मिला साथ ही गैर कृषि क्षेत्रों में लाभान्वित होने से कृषि आश्रितता में कमी आयी है, क्षेत्र का मुख्य व्यवसाय कृषि है जिसका विकास आवश्यक है।

स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का कृषि क्षेत्र में योगदान सराहनीय रहा है, लेकिन प्राकृतिक आपदाओं एवं विद्युत की कमी से कुछ विफल रहा। कृषि के संसाधन नलकूप उन्नत बीजों आदि के विकास से फसल अच्छी होगी तो आय भी बढ़ेगी अन्यथा विकास

अवरुद्ध हो जायेगा आय कम होने से ऋणग्रस्तता में भी वृद्धि होगी।

आवास में योगदान

स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का आवास में प्रत्यक्ष योगदान नहीं रहा लेकिन आय बढ़ने से अनुसूचित जाति के आवास व्यय में वृद्धि हुई है। जिन हितग्राहियों ने इस पर व्यय बढ़ाया उनकी आवासीय स्थिति में सुधार हुआ। हितग्राहियों के आवास की स्थिति वहीं है थोड़ा बहुत सुधार किया गया है। मकानों की संख्या में वृद्धि नहीं हो पायी जबकि जनसंख्या वृद्धि हुई है जो आवास की समस्या में वृद्धि करते जा रही है, जिसका आर्थिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

स्वास्थ्य में योगदान

अनुसूचित जाति के हितग्राहियों की आय वृद्धि के साथ-साथ स्वास्थ्य सेवा पर व्यय बढ़ा है, जबकि मादक पदार्थों पर व्यय कम हुआ है, जिसका स्वास्थ्य पर अनुकूल प्रभाव पड़ा है। स्वास्थ्य का स्तर अच्छा होने पर आय, कार्यक्षमता एवं आर्थिक विकास अनुकूल होगा, बुरा स्वास्थ्य प्रतिकूल होगा। योजना का स्वास्थ्य में योगदान अच्छा रहा है।

शिक्षा में योगदान

अनुसूचित जाति के लाभान्वित परिवारों में 2009-10 की तुलना में 2014-15 में शिक्षा पर व्यय बढ़ा है, जो शिक्षा के प्रति जागरूकता को प्रकट करता है, शिक्षा के स्तर में कोई विशेष सुधार नहीं आया है। सरकार पहली से दसवीं तक निःशुल्क शिक्षा दे रही है, साथ ही भोजन, वस्त्र, पुस्तकें भी प्रदान करती है। इस कारण भी शिक्षा व्यय कुछ कम है, शिक्षा ही जीवन का मूल है, अच्छी शिक्षा एवं संस्कार आर्थिक उत्थान में सहायक हो।

सांस्कृतिक परम्पराओं में योगदान

सर्वेक्षित क्षेत्र के अनुसूचित जाति के लाभान्वित परिवारों में 2009-10 की तुलना में 2014-15 में इस मद में व्यय की वृद्धि हुई है। आय बढ़ने एवं फैशन के कारण व्यय की अधिकता इस क्षेत्र में होने से सामान्य उपभोग व्यय हतोत्साहित होता है। सांस्कृतिक परम्पराओं में अधिक व्यय करने की प्रवृत्ति से वर्तमान उपभोग कम, आय स्त्रोत एवं भावी आय प्रभावित होती है, जिसका आर्थिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

निष्कर्ष

उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार ने क्षेत्र की अनुसूचित जाति के लाभान्वित परिवारों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से योगदान दिया है,

योजना आय वृद्धि, उपभोग व्यय वृद्धि, कृषि के विकास के साथ-साथ कृषि आश्रितता में कमी, ऋण ग्रस्तता में कमी, शिक्षा के क्षेत्र में वृद्धि के रूप में मुख्य योगदान दिया जो आर्थिक उत्थान को प्रगट करती है।

सुझाव

1. स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के सफल व्यावसायिक क्रियान्वयन के लिए ग्रामीण निर्धन वर्ग में जागरूकता पैदा करना नितांत आवश्यक है। क्योंकि जब तक गांव का निर्धन व्यक्ति स्वयं अपनी समस्याओं के प्रति जागरूक नहीं होगा तब तक वर्तमान व्यवस्था में उसे योजना का पूर्ण लाभ मिलना असंभव है।
2. योजना सफल क्रियान्वयन के लिए योजना एवं ग्रामीण विकास विशेषज्ञ की नियुक्ति करना अति आवश्यक है ताकि इनके द्वारा स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की निगरानी मूल्यांकन तथा नवीनतम तकनीक ज्ञान के प्रचार-प्रसार और योजना का लाभ हितग्राहियों को अधिकाधिक मिल सकें।
3. प्रशासन को चाहिए कि हितग्राहियों द्वारा निर्मित सामग्रियों की सुचित बाजार व्यवस्था करे निर्मित सामग्रियों की खपत हो सके और उन्हे अपनी सामग्रियों का उचित मूल्य प्राप्त हो सकें।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. पालीवाल, चन्द्रमोहन (1986), आदिवासी हरिजन विकास, नार्दन बुक सेंटर नई दिल्ली।
2. सिंह आर.जी. (1986), भारतीय दलितों की समस्याएं एवं उनका समाधान (प्रथम संकरण), हिन्दी ग्रंथ अकादमी भोपाल (म.प्र.)।
3. सिंह एम.डी. (1988) वैज्ञानिक समाजिक अनुसंधान एवं सर्वेक्षण के मूल तत्व, संस्करण कमल प्रकाशन इन्डौर।
4. सिसोदिया (1988), भारतीय ग्रामीण समाज शास्त्र, कमल प्रकाशन इन्डौर।
5. सिन्धा.बी.सी.एवं द्विवेदी, आर.एस.(1989), जनांकिकीय सिद्धांत द्वितीय संस्करण, नेशनल पब्लिकेशन्स हाऊस, नई दिल्ली।
6. रुद्रदत्त एवं सुन्दरम, के.पी.एम. (1990) भारतीय अर्थव्यवस्था, 20वां संस्करण, एस.चन्द्र एण्ड कम्पनी, नई दिल्ली।
7. वशिष्ठ वी.के. एवं भिण्डा, पी.सी.(1991), विकास एवं नियोजन का अर्थशास्त्र, रमेश बुक डिपो, जयपुर (राजस्थान)।